Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.
निगमित एंव सम्बद्ध कानून

Corporate and Allied Laws

[Relevant for November, 2018 Examination and onwards]
यह अध्ययन सामग्री बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा तैयार की गई अंग्रेजी अध्ययन सामग्री का हिन्दी स्थापनात्मक है। दस अध्ययन सामग्री को तैयार करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। छात्रों को सुझाव दिया गया पाठ्य-पुस्तकों का संदर्भ लेकर अपने अध्ययन को और आधिक व्यापक बनाना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो या इसमें चिन्हित सामग्री में आगे सुधार हेतु कोई सुझाव देना चाहें तो वे बोर्ड ऑफ स्टडीज के निदेशक को मुक्त रूप में लिख सकते हैं।

छात्रों के लिये निर्देशनाओं एवं विवेचनों को उपयोगी बनाने के लिये पृष्ठीय साक्षात्कार बनकर गई हैं लेकिन अध्ययन सामग्री का संस्थान की परिषद या किसी भी समिति द्वारा विशेष तौर से विवेचन नहीं हुआ हैं तथा इसमें व्यक्ति विचारों को अनिवार्य परिषद या उसकी किसी समिति के विचारों का अंग नहीं माना जा सकता है।

इस सामग्री के किसी भी भाग को उद्धृत करने के लिये संस्थान की आज्ञा आवश्यक है।

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

सर्विचिकार सुस्पष्टित। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक की लिखित पूर्व अनुमानि के बिना उद्धृत, यात्रिक प्रणाली में भण्डारित या संग्रहालय अथवा किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक, यात्रिक, कोटों कोडिंग, रिकॉर्डिंग या अन्यथा सम्प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

संस्थानीय संस्करण : जून, 2018

वेबसाइट : www.icai.org

ई-मेल : bosnoida@icai.in

डिपार्टमेंट/ कमेटी : बोर्ड ऑफ स्टडीज

ISBN NO :

मुख्य:

प्रकाशक : प्रकाशक विभाग, दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आई सी, पी. आई. मणि, पी. बी. 7100, इन्द्रप्रस्त मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
अध्ययन सामग्री के बारे में

उदारीकरण और वैश्वीकरण वैश्विक परिवर्तन के साथ ध्न में हमारी अर्थिक निष्ठाओं का हमारे देश के निगम और मित्र देशों कि कानून में कई सुधार लाया है। अच्छी तरह से संरचित निगम और सब्द कानून कि एक योजना निगम विकास के लिए गैर-योग्य है। इन कानूनों में संशोधन किया जा रहा है और समय-समय पर देश के सीतर और साथ ही बाहर होने वाले परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर ठीक-ठाक किया जा रहा है। यह प्रक्रिया आने वाले समय में और अधिक गतिशील बनी रहेगी जो कि निगम विकास के लिए जीवंत, देश में और अधिक पुंजी डालने और एक ही समय में विभिन्न हितार्थकों के हितों की खा और सुधार के लिए है। कंपनी 2013 में मानवीय को भारत के राष्ट्रपति और 30 अगस्त 2013 को अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया, जिसमें सर्वजनिक जानकारी दी गई थी कि अधिकारियों के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रकारों को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तत्वों को नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013, 470 वर्ग और सात अनुसूचियों के साथ निगम आधारित कानून है। पूरे अधिनियम को 29 अधियोगों में विभाजित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 का उद्देश्य निगम प्रशासन में सुधार करना, नियमों को सरल बनाना, अलग-अलग निवेशकों के हितों को मजबूत कराना और पहली बार "विश्लेषण ब्लॉक" की भूमिका को कानून बनाना है।

नवबर 2018 पश्चात की लेख एक तारिख के लिए प्रसारित निवेशन की तारिख 30 अप्रैल 2018 है। अध्ययन सामग्री 30 अप्रैल 2018 तक विधायी संशोधन के आधार पर तैयार की जा चुकी है।

कंपनी लॉ भाग :- 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 के संशोधन प्रत्येक अध्ययन के अन्त में लिया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे-समी संशोधनों को भी शामिल किया गया है जो कि कंपनी (संशोधन ) 2017 से आये है और जो 3 जनवरी 2018 को आमजन सुविधा के लिए सुझावित है।

सभी संशोधनों के लिए कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 से आये है वे प्रत्येक अध्ययन के अन्त में शामिल किए है लेकिन वे दरम्यान जो 30 अप्रैल 2018 तक सुझावित है वे नवम्बर 2018 पश्चात के लिए किया गया है। और जो 30 अप्रैल 2018 तक सुझावित नहीं है वे केवल सामान्य सुविधा के लिए रेफर के जा सकती है और नवम्बर 2018 पश्चात के लिए सम्बन्धित नही है।

इन्स्डिव्यूल में एंड बैंकर्स कोड 2016 :- यह अध्ययन 30 अप्रैल 2018 तक के संशोधनों की शामिल करके बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वे संशोधन जो 30 अप्रैल 2018 के बाद आये हैं इस अध्ययन में वे विधायिकों की सुविधा के लिए नोट्स के रूप में दिए गए हैं। यद्यपि 30 अप्रैल, 2018 के बाद के संशोधन नवम्बर 2018 पश्चात सम्बन्धित नही है।
संबंध कानून भागः— संबंध कानून 30 अप्रैल 2018 तक संशोधनों के साथ बनाया गया है।

बहुत उपयोग के अनुकूल पाएँगे और समाप्ती को पढ़ते समय किसी भी प्रश्न के मामले और उन्हें अध्ययन बोर्ड की संबंधित किया जा सकता है।

छात्र अपनी समस्याओं (विषय और अन्य प्रश्नों को अलग से) को बोर्ड ऑफ़ स्टूडीज़ के निदेशक जो आई सी ए आई भवन प्लांट न. ए/129, सेक्टर 62, नोएडा— 201309 (यू. पी.) पर संपर्क कर सकते हैं।

शुभकामनाएँ
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. स.</th>
<th>अध्याय</th>
<th>संशोधन</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1     | कम्पनी लोन (अध्याय 1-18) | • सम्बन्धित संशोधन 1 नवम्बर 2015 से 30 अप्रैल 2018  
• फ्लोचार्ट, सारणी चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन उदाहरण |
| 2     | इंस्ट्रेक्ट्सी और बैंकर्स कोड, 2016 (अध्याय 1-18) | • धारा 2 के विस्तृत कोड एस ऑ 1570 (ई) दिनांक 15 मई 2017 के वाक्यांश (ए) से (डी) का लागू होना  
• फास्टट्रूक नियम नियम दिवाला प्रक्रिया विस्तृत सूचना एस ऑ 1910 (ई) दिनांक 14 जून 2017 से सम्बन्धित धारा का आर्थम लागू होना  
• फास्टट्रूक नियम दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया धारा 55(2) विस्तृत सूचना एस. ऑ. 1911(ई) दिनांक 14 जून 2017 से सम्बन्धित धाराओं का आर्थम होना।  
• इंस्ट्रेक्ट्सी और दिवाला कोड, 2016 विस्तृत सामान्य चक्र, 2016 सामान्य चक आई बी सी 01/2017 दिनांक 25 अक्टूबर 2017 की धारा 30 और 31 के अन्तर्गत प्रस्ताव योजना की सहमाति के सम्बंध में समस्या का निराकरण  
• इंस्ट्रेक्ट्सी और बैंकर्स कोड (संशोधन) नियमित, 2018  
• स्थापन प्रक्रिया की धारा 55-59 को सामिल करना। |
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. स.</th>
<th>अध्याय</th>
<th>संशोधन</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1     | मार्गीय प्रतिरूपीति विनिमय अधिनियम, 1992-1993 | • 1 नवम्बर 2015 से 30 अप्रैल 2018 के समबंधित संशोधन  
• वित्त अधिनियम, 2017, अप्रैल 26, 2017 से समबंधित संशोधन जोड़े गए।  
• प्रतिरूपकरण में परिवर्तन प्लांटेचर, सारणी, चित्र द्वारा  
• उदाहरण |
| 2     | प्रतिरूपीति अनुबंध अधिनियम, 1956 | • वित्त अधिनियम, 2015, 28/9/2015 से समबंधित संशोधन जोड़े गए।  
• वित्त अधिनियम, 2018 से समबंधित संशोधन जोड़े गए। |
| 3     | विदेशी विनियमन प्रबंध अधिनियम, 1999 | • 1 नवम्बर 2015 से 30 अप्रैल 2018 से समबंधित संशोधन  
• वित्त अधिनियम, 2017 से समबंधित संशोधन बनाए गए।  
• प्रतिरूपकरण में परिवर्तन प्लांटेचर, सारणी, चित्र द्वारा  
• उदाहरण |
| 4     | प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 | • 1 नवम्बर, 2015 से 30 अप्रैल, 2018 से समबंधित संशोधन  
• वित्त अधिनियम, 2017 से समबंधित संशोधन बनाए गए।  
• प्रतिरूपकरण में परिवर्तन प्लांटेचर सारणी, चित्र द्वारा |
| 5     | बैंकिंग अधिनियम, 1949-1938 बैंक अधिनियम और विकास प्राधिकारी अधिनियम, 1999 प्रतिरूपकरण और वित्तीय सम्पत्तियों का पुनर्गतिमान और | • 1 नवम्बर 2015 से 30 अप्रैल 2018 से समबंधित संशोधन  
• बैंकिंग नियम (संशोधन) अधिनियम, 2017, दिसंबर 25 अगस्त 2017, 4 मई, 2017  
• बैंकिंग अधिनियम, 1949 के भाग में कुछ जुड़ा और हटा  
• प्रतिरूपीति हित और ऋण कानुन और अन्य |
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रतिनिधि हित अधिनियम 2002</th>
<th>प्राक्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2016 के द्वारा संशोधन जोड़े गए।&lt;br&gt;• सरफारी अध्याय में प्रस्तुतिकरण में बदलाव।&lt;br&gt;• बीमा अधिनियम, 1938 के भाग में बदलाव।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6 मुद्रा दोहन विवाह अधिनियम, 2002</td>
<td>1 नवम्बर 2015 से 30 अप्रैल, 2018 तक सम्बन्धित संशोधन&lt;br&gt;• वित्त अधिनियम, 2015 और 2016 के द्वारा संशोधन बनाए।&lt;br&gt;• कुछ धाराओं और उपधाराओं में जोड़ा या घटाया गया।&lt;br&gt;• फलोचार्ट, सारणी चित्र, द्वारा प्रस्तुतिकरण में बदलाव।&lt;br&gt;• उदाहरण</td>
</tr>
<tr>
<td>7 संविधि, विलेख और प्रपत्र का अनुवाद</td>
<td>फलोचार्ट, सारणी, चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण&lt;br&gt;• उदाहरण</td>
</tr>
</tbody>
</table>
पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र – 4: कॉमर्स के कानून
(एक प्रश्नपत्र – तीन घंटे – 100 अंक)

भाग –ए : कंपनी विधि एवं डिवालियापन और डिवालियापन संहिता, 2016

ज्ञान का स्तर : जल्दि ज्ञान (Advanced Knowledge)

उद्देश्य :

व्यावहारिक स्थितियों में कंपनी विधि के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करने एवं लागू करने से सक्षम होना

समाध्री

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ इसकी समस्तता के अंतर्गत बनाए गए नियम
   A. लाभांश की घोषणा एवं भुगतान
   B. खाते एवं लेखापतिया
   C. निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता
   D. प्रबंधकियां कार्यकर्ताओं की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक
   E. बोर्डवाली बैठकें एवं इसकी शक्तियाँ
   F. मिश्रण, जोन्ड एवं अन्तर्गत
   G. समझौते, व्यवस्थाये एवं एक्टिकरण
   H. उपस्थित एवं कुप्रमक्षण की रोकथाम
   I. बीमार कम्पनीयों का पुनर्निर्माण एवं पुनर्निर्माण
   J. समाप्त
   K. उत्पादक कम्पनीयों
   L. भारत के बाहर निगमित कम्पनीयों
   M. अपराध एवं जुर्माना
   N. ई-गर्लगन्स
   O. राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण एवं अधिलिय अधिकरण
   P. विशेष न्यायालय
   Q. विधि प्रावधान
2. कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस – रेजल्युशन, मिनटस, सूचनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करना।

3. दिवालिकायण और दिवालिकायण संहिता, 2016— महत्वपूर्ण परिपथों के निगम दिवालिकायण निराकरण प्रक्रिया एवं परीक्षामापन प्रक्रिया समविकल्प की जाती है।
   नोट: कंपनी अधिनियम, 1956 के प्राधान्य, जो अभी भी लागू है, तब तक पादयक्रम का हिस्सा बने रहेंगे, जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत या नए प्राधान्य लागू नहीं हो जाते।

भाग बी: संबंध कानून (30 अंक)

उद्देश्य:
इस भाग में बताए गए कानूनों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना।

समायोजित:

4. निम्नलिखित कानूनों का संक्षिप्त विवरण—
   A. भारतीय प्रतिमुल्क एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, इसके अंतर्गत जारी किए गए नियम, विनियम एवं दिशानिर्देश।
   B. प्रतिमुल्क संचिता (विनियमन) अधिनियम, 1956
   C. विदेशी विनियम प्राधिकार अधिनियम, 1999
   D. प्रतिमुल्क अधिनियम, 2002
   E. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बीमा अधिनियम, 1956, बीमा विनियमक एवं विकास प्राधिकार अधिनियम, 1999। वित्तीय संस्थाओं के प्रतिमुल्किकारण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिमुल्क व्याज अधिनियम का प्रवर्तन।
   F. हवाला रोकथाम अधिनियम, 2002

5. संबंधित, विशेष दस्तावेजों की व्याख्या।
   नोट: यदि चित्रण का प्राक्ष कोई नये कानून को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, तो पादयक्रम में वह नये कानून के प्राक्ष का इन्स्टीट्यूट द्वारा सुचित दिनांक से जोड़े जाएंगे।
प्रतिपुर्ति फॉर्म (FEEDBACK FORM)

<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>विषय का नाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>विद्यार्थी का नाम</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>पतीकरण क्रमांक</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सभ्यता विवरण: ई-मेल id, मोबाइल नम्बर आदि</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>विषय एवं पेपर क्रमांक</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>प्रश्नपत्र : 2 व्यवसायिक विविधाओं, वित्तीय और संचार अध्ययन सामग्री</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>प्रकाशन का नाम</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अध्ययन सामग्री</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>वर्ष</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अगस्त, 2014</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>क्या आपने प्रकाशन को छात्र उपयोगी पाया?</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 7      | क्या अध्ययन सामग्री में दिए गए उदाहरण, अध्ययन सामग्री में दिए गए प्राक्तनों को समझने में सहायता मिली?
| 8      | क्या अध्ययन सामग्री में परीक्षा एवं उपयुक्त प्रश्न मिले जिससे अध्ययन सामग्री में बताए गए विचारों को समझने में अच्छी सहायता मिली?
| 9      | क्या कोई गलतियां हैं जिन्हें आप प्रकाशन में पाया हां? यदि हां, तो उनका विविध वर्णन दीजिए। |

<table>
<thead>
<tr>
<th>गलती का प्रकार (गलती की प्रकृति की लिखें)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अध्ययन नं. (कोई नं., यदि लागू हो)</td>
</tr>
<tr>
<td>पृष्ठ नं. (एवं पैरा की लाइन)</td>
</tr>
<tr>
<td>सन्दर्भ सामग्री (गलति सहीत प्रकाशन के अनुरूप)</td>
</tr>
<tr>
<td>सुझाव</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| रखरखाव/छपाई संभालने/विचार समन्वय/अद्यावधि |
|        |

| क्या आप अनुभव करते हैं कि क्या प्रकाशन की ओर आधिक मुल्यवान बनाई जा सकता है? यदि हां, अपने विशिष्ट सुझाव दीजिए। |

© The Institute of Chartered Accountants of India
टिप्पणीः यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें ई-मेल feedbackbos@icai.org द्वारा भेज सकते हैं।

कृपया प्रतिपुष्टि फॉर्म को भेजें:

निदेशक, बॉर्ड ऑफ स्टडिज
दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
A-29, सेंटर -62, नोएडा- 201 309.
मॉड्यूल : – 1

अध्याय 1: लागत की घोषणा एवं भुगतान
अध्याय 2: खाते एवं लेखापत्ता
अध्याय 3: निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता
अध्याय 4: प्रबंधकीय कार्यवाही की नियुक्तिएवं पारिसंपादन
अध्याय 5: बोर्डकी बैठकें एवं इसकी शक्तियाँ
अध्याय 6: निर्देशन, जॉब्स एवं अन्वेषण
अध्याय 7: समझौते, व्यवस्थायें एवं एफिकेंसी
अध्याय 8: उपरोक्त एवं कुछत्रान की रोकथाम
अध्याय 9: बीमार कंपनियों का पुनरुद्धार एवं पुनर्नवास
अध्याय 10: समापन
अध्याय 11: उत्पादक कंपनियों
अध्याय 12: भारत के बाहर निगमित कंपनियाँ
अध्याय 13: अपराध एवं जुर्माना
अध्याय 14: ई-गर्लेन्स
अध्याय 15: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एवं अपिलिय अधिकरण
अध्याय 16: विशेष न्यायालय
अध्याय 17: विशिष्ट प्राधन
अध्याय 18: कॉर्पोरेट सेक्रेटरीयल प्रैक्टिस – रेजिल्युशन, मिनट्स, सूचनाओं एवं रिपोर्टें तैयार करना
अध्याय 19: दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016
अध्याय 20: भारतीय प्रतिमुख एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, इसके अंतर्गत जारी किए गए नियम, विनियम एवं दिशानिर्देश।

अध्याय 21: प्रतिमुख संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956

अध्याय 22: विदेशी विनियम प्रवंशन अधिनियम, 1999

अध्याय 23: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

अध्याय 24: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बीमा अधिनियम। बीमा विनियमक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999। वित्तिय संपत्तियों के प्रतिमुक्त करण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिमुख ब्याज अधिनियम का प्रवर्तन

अध्याय 25: हवाला रोकथाम अधिनियम, 2002

अध्याय 26: सर्विचियों, विलेखों दस्तावेजों की व्याख्या।
विस्तार पूर्वक सामग्री मॉड्यूल : — 1

भाग A: कंपनी विधि

अध्याय 1: लाभांश की घोषणा एवं भुगतान

1 लाभांश का आशय
2 लाभांश के प्रकार
3 लाभांश की घोषणा
4 असंगत लाभांश खाता
5 निवेशक सिद्धांत एवं संक्षेप निधि
6 शेयरों के अंतरण के परिकरण के लिए लिखित फाइल में धारण किए जाने हेतु लाभांश, 
अधिकार शेयरों एवं बैनर शेयरों का अधिकार धारा
7 लाभांशों का वितरण करने में विफलता के लिए दंड

अध्याय 2: खाते एवं लेखापरिक्रमा

1 प्रस्तावना
2 कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा भलक आदि
3 वित्तीय विवरण
4 न्यायालयों या त्रिज्यूनल के आदेशों पर खातों का पुन: खोलना
5 वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट का स्वीकारक संशोधन
6 राज्यवासिय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन
7 केंद्रीय सरकार द्वारा लेखा मानक निर्धारित किया जाना
8 वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि
9 कॉपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
10 शिक्षणों का लेखा परिक्षित वित्तीय विवरण की प्रतियों से सम्बंधित अधिकार
11 रजिस्ट्रे के समक्ष दाखिल किए जाने हेतु वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि
12 आंतरिक लेखापरीक्षा
13 परिचय
14 लेखापरीक्षाओं की नियुक्ति
15 लेखापरीक्षा का निकासन, इस्तीफा और विशेष नोटिस देना
16 लेखापरीक्षाओं की पात्रता, योग्यता और अयोग्यता
17 लेखापरीक्षाओं का पारिश्वमिक
18 लेखा परीक्षाओं और लेखा परीक्षा मानकों के अधिकार और कर्त्तव्य
19 लेखापरीक्षा द्वारा प्रदान ना की जाने वाली कुछ सेवाएं
20 लेखापरीक्षाओं ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट, आदि
21 लेखा परीक्षा द्वारा आम बैठक में भाग लिया जाना
22 उत्तरदायित्व के लिए राजा
23 कुछ कंपनियों के संबंध म लागत की मदद का लेखापरीक्षा निर्दिष्ट के लिए केन्द्र संरक्षक

अध्याय 3: संचालकों की नियुक्ति एवं योग्यताएँ
1 प्रस्तावना
2 कंपनी—संचालक मण्डल का होना
3 स्वतंत्र संचालकों के चुनाव का ढंग एवं स्वतंत्र संचालकों सम्बन्धी जानकारी का रख-रखाव
4 लघु अंशधारकों द्वारा चुने हुए संचालको की नियुक्ति
5 संचालकों की नियुक्ति
6 संचालकों की पहलेवार संख्या के आंतन सम्बन्धित आवेदन
7 संचालक पहचान संख्या का आवंटन
8 एक से अधिक संचालक पहचान संख्या पर प्रतिबंध
9 संचालकों को पहचान संख्या की सूचना
10 कंपनी द्वारा पहचान संख्या की सूचना कुल संस्थान को देना
11 संचालक पहचान संख्या का प्रदर्शित करने का दायित्व
12 अपराध करने पर सजा
13 संचालक पहचान संख्या का निरस्तीकरण, या समर्पण या पुन:प्रभावी करना
14 संचालक पहचान संख्या आवेदन में जरूर्तित विवरणों में परिवर्तन को सूचना
15 संचालक पद पर सेवानिवृति संचालकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के अधिकार
16 अतिरिक्त संचालक, वैकल्पिक संचालक एवं नामांकित संचालक की नियुक्ति
17 व्यक्तिगत रूप से मतदान करने वाले संचालकों की नियुक्ति
18 संचालकों की नियुक्ति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू करने का विकल्प
19 संचालक की नियुक्ति सम्बन्धी अयोग्यताएँ
20 संचालक पद की संख्या
21 संचालकों के दायित्व (कर्तव्य)
22 संचालक पद का रिकॉर्ड होना
23 संचालक का पद—स्थान
24 संचालकों को हटाना
25 संचालकों एवं मुख्य प्रबन्धकीय अधिकारियों को रजिस्टर एवं उनके अंशधारिता
26 निर्देशन करने के सदस्यों के अधिकार
27 सजा
अध्याय 4 प्रबन्धकीय सेविवर्गीय की नियुक्ति एवं पारित्रामिक

1 प्रस्तावना

2 प्रबन्धकीय संचालक, पूर्वकालिन संचालक या प्रबन्धक की नियुक्ति

3 मुख्य प्रबन्धकीय सेविवर्गीय की नियुक्ति

4 कम्पनी साथीव के कार्य

5 पारित्रामिक की सीमा निर्धारण में कम्पनी या केंद्रीय सरकार

6 कुल अधिकतम प्रबन्धकीय पारित्रामिक एवं लागू न होने या अपर्याप्त होने पर कुल प्रबन्धकीय पारित्रामिक

7 कुल मामलों में प्रबन्धकीय पारित्रामिक की क्षुद्रीकरण

8 लागू की गणना

9 कुल आवेदनों का प्रारूप एवं प्रक्रिया

10 प्रबन्धकीय या पूर्वकालिन संचालक या प्रबन्धक के पद की हार्मनी पर हजारा

11 बड़ी कम्पनीयों का सत्रमीय अंकोक्षण

12 अनुसूची V के भाग II, भाग III एवं भाग IV का प्रबन्धकीय पारित्रामिक

अध्याय 5 – मण्डल की समाप्तियाँ एवं उनकी शक्तियाँ

1 प्रस्तावना

2 मण्डल की समाप्तियाँ

3 बॉर्ड समा की स्थानमात उपस्थिति

4 संचार द्वारा प्रस्ताव पारित करना

5 अंकोक्षण समिति

6 पारित्रामिक समिति एवं अंशधारको समानित समिति का नामांकन

7 मण्डल की शक्तियाँ
8 मण्डल की शक्तियों पर प्रतिबंध
9 कम्पनी द्वारा उचित एवं पुण्यार्थ कोष आदि में अंशदान
10 राजनैतिक अंशदान समवाहित रोक व प्रतिबंध
11 राष्ट्रीय सुरक्षा कोष आदि में अंशदान समवाहित मण्डल एवं व्यक्तियों की शक्तियों
12 संचालकों द्वारा अपने हित का स्पष्टीकरण
13 लिए गए कार्यों को अवैध न करने के संचालकों की नियुक्ति में दोष
14 संचालकों आदि को ज्ञान
15 कम्पनी द्वारा ज्ञान एवं विनियोग
16 अपने ही नाम में कम्पनी का विनियोग
17 समवाहित पक्ष व्यवहार
18 संचालकों के हित समवाहित अनुबंध या प्रबंध समवाहित रजिस्ट्रर
19 प्रबंधनका या पुणकालिन संचालकों के राजगार समवाहित रजिस्ट्रर
20 उपक्रम, सम्पति या अंशों के हस्तान्तरण के समबंध में संचालकों के पद पर हानि पर भुगतान
21 संचालकों से समवाहित गैर-रोकड़ी व्यवहार पर प्रतिबंध
22 एक व्यक्ति की कम्पनी द्वारा अनुबंध
23 संचालक या मुख्य प्रबंधकारी सेविय द्वारा कम्पनी प्रतिभूतियों के अग्रिम व्यवहार पर प्रतिबंध
24 प्रतिभुतियों के आत्मचक्रीय व्यवहार पर प्रतिबंध

अध्याय 6- निरीक्षण, जांच पड़ताल एवं अन्वंधान
1 प्रस्तावना
2 सुचना पर बुलाने की शक्ति, पंगतको का निरीक्षण एवं जांच पड़ताल करना
3 निरीक्षण एवं जांच पड़ताल करना
4 किये गए निर्धारण पर प्रतिबंधन
5 खोज एवं जब्त करना
6 कंपनी के मामले का अनुसंधान
7 गम्भीर छूटे अनुसंधान कार्यालय की स्थापना
8 गम्भीर छूटे अनुसंधान कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों में अनुसंधान
9 अन्य मामलों में कंपनी के मामलों में अनुसंधान
10 अनुसंधान की लागत एवं व्ययों के भुगतान सम्बंधित प्रतिपूर्ति
11 फर्म, निकाय या संघ का निर्धारण के रूप में नियुक्ति न होना
12 कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान
13 निर्धारणों की शक्तियों, प्रक्रिया आदि
14 अनुसंधान के दौरान कर्मचारियों का संरक्षण
15 निर्धारण की शक्तियों
16 निर्धारण प्रतिबंधन
17 निर्धारण प्रतिबंधन पर कार्यवाही करना
18 अनुसंधान के व्यय
19 कंपनी का सृजनात्मक रूप संपादन आदि, अनुसंधान प्रक्रिया को न रोकना
20 कानूनी सलाहकार एवं बैंकर्स। कुछ सुचनाओं को प्रकट न करना
21 विदेशी कंपनीयों का अनुसंधान आदि
22 छूटे विवरण देने, भंग करना, दर्शावेजी का नष्ट करने पर जुर्माना

अध्याय 7 – सामजिका, व्यवस्था एवं सामर्थ्य
1 प्रस्तावना
2 लेनदारों एवं सदस्यों के साथ समजौता या प्रबन्ध करने की शक्ति
3 समझौता या प्रबन्ध को लागू करने की त्रिबुनल की शक्ति
4 कम्पनीयों का मिलान एवं समिश्रण
5 बहुमत द्वारा स्वीकृत अनुबंध या योजना को न अपनाने वाले अधिकारियों के अंशों को प्राप्त करने की शक्ति
6 अत्यंत सख्त अंशदारों के अंश का क्रय
7 जानलेवे में कम्पनीयों का समिश्रण करने सम्बंधित केंद्र सरकार की शक्तियाँ
8 अंशों के हस्तांतरण सम्बन्धी योजना के प्रस्ताव का पंजीकरण
9 समिश्रित कम्पनी की पुस्तकों एवं कागजातों का रक्षा–रक्षाव
10 मिलान, समिश्रण आदि से पूर्व होने पर अपराध होने पर अधिकारियों के दायित्व
11 कुल कम्पनीयों के मिलान या समिश्रण करने का तीव्र ढंग
12 विदेशी कम्पनी के साथ कम्पनी का मिलान या समिश्रण

अध्याय 8– कुप्रमान एवं कुप्रबन्ध पर रोक
1 प्रस्तावना
2 कुप्रमान आदि मामले में छूट के लिए त्रिबुनल को आवेदन
3 धारा 241 के अन्तर्गत आवेदन का अधिकार
4 त्रिबुनल की शक्तियाँ
5 कुछ समझौतों में घुसार या समाप्ति के परिणाम
6 वर्ग कार्य
7 धारा 241 या धारा 245 के अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ प्रावधानों सम्बन्धी आवेदन

अध्याय 9– विस्तृत (कमजोर) कम्पनियों का पुनरुद्धार और पुनर्वस

अध्याय 10– समापन
1 प्रस्तावना
2 समापन के बंग
3 परिस्थितियों जब कम्पनी का समापन ट्रिब्युनल द्वारा होना
4 समापन हेतु दावा
5 ट्रिब्युनल की शक्तियों
6 स्थिति विवरण को फाइल करने सम्बन्धी मार्गदर्शन
7 कम्पनी के समापक एवं उनकी नियुक्ति
8 समापक को हटाना एवं प्रतिस्थापन
9 कम्पनी समापक को सुचना प्रावधिक समापक एवं कुल सचिव
10 समापन आदेश के प्रभाव
11 समापन आदेश आदि पर दावे को लोकना
12 ट्रिब्युनल का सीमा क्षेत्र
13 कम्पनी समापन द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
14 कम्पनी समापक के प्रतिवेदन पर ट्रिब्युनल की मार्गदर्शिका
15 कम्पनी सम्पत्तियों की देखभाल
16 कम्पनी समापक के साथ प्रवर्तक, संचालक आदि का सहयोग
17 अंशदारी की सुधी का निपटारा एवं सम्पत्तियों का आवेदन
18 संचालकों एवं प्रबन्धको का दायित्व
19 सलाहकार समिति
20 ट्रिब्युनल को सामयिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना
21 कम्पनी समापक की शक्तियों एवं कर्तव्य
22 कम्पनी समापक को पेशेवर सहायता के प्रावधान
23 कम्पनी के समापक की शक्तियों का प्रयोग एवं नियंत्रण
24 कम्पनी समापक द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें
25 कम्पनी के सहायक खातों का अर्थक्षण
26 अंशदायी द्वारा ऋणों का भुगतान एवं पूर्ति की सीमा
27 पुकार करने हेतु ट्रिब्युनल की शक्तियाँ
28 अंशदायी के अधिकारों का समायोजन
29 आदेश व्ययों की शक्ति
30 कम्पनी की सम्पत्ति आदी को रखने वाले शंकात्मक व्यक्ति को बूझने की शक्ति
31 प्रवर्तकों, सचालकों आदि के परिक्षण आदेश की शक्ति
32 भारत छोड़कर विदेशों को जाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को गिरपतार करना
33 ट्रिब्युनल द्वारा कम्पनी का समापन
34 अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व आदेश देने पर अपील
35 समस्त विवरणों के ऋणों की स्वीकृति का साधन
36 पुरावधिकार भुगतान को करना
37 पुरावधिकार भुगतान
38 संदेहात्मक पुरावधिकार
39 सदभावना के अभाव में हस्तान्तरण अवैध होना
40 कुछ हस्तान्तरणों का अवैध होना
41 कुछ संदेहात्मक चुने व्यक्तियों के दाखिल एवं अधिकार
42 चतुर भार का प्रभाव
43 कठ दायक सम्पत्ति का दाबेदार न होना
44 समापन प्रारम्भ होने के पश्चात् हस्तान्तरण अवैध होना
45 ट्रिब्युनल द्वारा समापन होने पर कुछ रोक एवं व्यवहार अवैध होना
46 समापन पर कम्पनियों के अधिकारियों का आपराध
47 अधिकारियों द्वारा आपराध करने पर सजा
48 उचित खाते न रखने पर दायित्व
49 छल व्यापार करने पर दायित्व
50 आपराधिक संचालकों आदि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निर्धारण पर ट्रिब्युनल की शक्ति
51 कम्पनीयों या फर्म के संचालकों या साझेदार पर धारा 339 एवं धारा 340 के अन्तर्गत दायित्व
52 आपराधिक अधिकारियों एवं कम्पनी के सदस्यों पर दावा
53 कम्पनी के समापक द्वारा कुछ शक्तियों को अपनाना, स्वीकृति प्राप्त होने पर
54 कम्पनी के समापन पर विवरण
55 साक्ष्य के रूप में कम्पनी की पुस्तकों एवं कागजात
56 लेखदार एवं अंशदायियों द्वारा पुस्तकों एवं कागजों का निर्धारण
57 कम्पनी की पुस्तकों एवं कागजों का विसर्जन
58 अदालत समापन की युवना
59 अधिकारिक समापक द्वारा भारत के जन खाते में भुगतान करना
60 कम्पनी के समापक द्वारा अनुसूचित बैंक में धन जमा करना
61 समापक द्वारा निजी बैंकिंग खाते में धन जमा न करना
62 कम्पनी समापन लामांश एवं अविकलित सम्पत्तियों का खाता
63 समापक द्वारा प्रत्यावेदी आदि बनाना
64 लेखदारों या अंशदायियों की इच्छाओं के निर्धारण सम्बंधी समन
65 न्यायालय, ट्रिब्युनल या व्यक्ति आदि, जिनके सम्मुख वचन पत्र दिया जा सकता हो
66 ट्रिब्युनल की कम्पनी के समापन की घोषणा अनुवंश करने की शक्तियाँ
67 त्रिखुनल द्वारा समापन प्रारम्भ करना
68 सीमा की अवकी दी गार्णारा करने में कुछ समय को छोड़ना
69 अधिकारिक समापक की नियुक्ति
70 अधिकारिक समापक की शक्तियों एवं कार्य
71 समापन की सुशीम प्रक्रिया
72 समितियों की बिक्री एवं कम्पनी पर बकाया ऋणों की मांग
73 सरकारी समापक द्वारा लम्बायों के दावों का निपटारा
74 लम्बायों द्वारा अपिल
75 कम्पनी के समापन के आदेश

अध्याय 11—उत्पादक कम्पनीयाँ

1 प्रस्तावना
2 निजी कम्पनीयों से सम्बंधित प्रावधानों का आवेदन
3 उत्पादक कम्पनीयों के लागू होने पर अधिनियम में संशोधन की शक्ति
4 परिमाणों
5 उत्पादक कम्पनी के उद्देश्य
6 उत्पादक कम्पनी का निर्माण एवं उसका प्रतिज्ञान
7 उत्पादक कम्पनी के समावेश का प्रभाव
8 सदस्यता तथा सदस्यों का मतदान अधिकार
9 सदस्यों को लाम
10 उत्पादक कम्पनी का समावेश
11 समावेश में संशोधन
12 पार्षद अन्तर्निष्ठ
13 अन्तर्नियम में संशोधन
14 अन्तर्राज्यीय साहकारी सस्थाएँ
15 प्रबंध
16 सामान्य समाचार
17 अंश वेंजी एवं सदस्यों के अधिकार
18 खाते की पुस्तके
19 आन्तरिक अंकेक्षण
20 इस भाग के अन्तर्गत अंकेक्षण के कर्तव्य
21 उत्पादक कम्पनी द्वारा दान या अंशदान
22 सामान्य एवं अन्य अधिकृत
23 बोनस अंशों का निर्माण
24 सदस्यों को ऋण आदि
25 अन्य कम्पनीयों में विनियोग, सहायक आदि का निर्माण
26 जूलाई
27 सम्मिश्रण मिलान या डिविजन
28 झागड़ों का प्रस्ताव
29 उत्पादक कम्पनी का अन्तर्राज्यीय साहकारी समिति में पुनः परिवर्तन

अध्याय 12 भारत के बाहर कम्पनियों का समागमन
1 प्रस्तावना
2 विदेशी कम्पनीयों पर लागू अधिनियम
3 विदेशी कम्पनीयों द्वारा रजिस्ट्रेशन को सौंपे गए दस्तावेज आदि
4 विदेशी कम्पनी के खाते
5 विदेशी कंपनी के माप का प्रदर्शन आदि
6 विदेशी कंपनी की सेवाएं
7 ऋणपत्र वार्षिक प्रावधान का व्ययों का पंजीयन, खाते की पुस्तक एवं उनका निर्देश
8 दस्तावेजों के पंजीयन की फीस
9 निर्देश
10 प्रविष्टि पर दिनांक एवं उनमें दिए गए विवरण
11 भिन्न रिपोर्ट एवं आवंटन सम्बन्धी प्रावधान
12 प्रविष्टि का पंजीयन
13 भारतीय जमा प्राप्ति का प्रस्ताव
14 घाटाएं 34 से 36 का प्रयोग एवं अध्याय XX
15 उल्लंघन पर सजा
16 इस अध्याय के प्रावधानों का पालन करने में कंपनी की असफलता जो अनुबंध आदि
की वैधता को प्रभावित करना

अध्याय 13 : अपराधों का निश्चय निर्णयादेश एवं विशेष न्यायालय
1 प्रस्तावना
2 अपराधों की सुनवाई हेतु न्यायालय की सीमा
3 गैर - जमानती अपराध
4 जुर्माना लागू होना

अध्याय 14 : ई-गवर्नेंस
1 एमएसई 21 प्रोजेक्ट
2 एमएसई की स्थापना
3 एमएसई 21 कार्यक्रम
cार्यक्रम के क्षेत्र
अध्याय 15 : राष्ट्रीय कम्पनी कानून दिर्घुरुल एवं अपिलेंट दिर्घुरुल

1 प्रस्तावना
2 परिभाषाएँ
3 राष्ट्रीय कम्पनी कानून दिर्घुरुल की स्थापना
4 अद्यावंत एवं दिर्घुरुल के सदस्यों की योग्यता
5 अपिलेंट दिर्घुरुल के सदस्यों की योग्यता
6 चेयरपर्सन एवं अपिलेंट दिर्घुरुल के सदस्यों की योग्यताएँ
7 दिर्घुरुल एवं अपिलेंट दिर्घुरुल के सदस्यों का चुनाव
8 अद्यावंत, चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्यों की कार्यलवक अन्वेषण
9 सदस्यों की सेवाओं का वेतन, मंत्री एवं अन्य शर्तें व दशाएँ
10 दिर्घुरुल एवं अपिलेंट दिर्घुरुल के कार्यवाहक अद्यावंत एवं चेयरपर्सन
11 सदस्यों का त्यागपत्र
12 सदस्यों को हटाना
13 दिर्घुरुल एवं अपिलेंट दिर्घुरुल का स्टाफ
14 दिर्घुरुल की बैठक
15 दिर्घुरुल के आदेश
16 दिर्घुरुल के आदेश पर अपिल
17 दिर्घुरुल व अपिलेंट दिर्घुरुल द्वारा शीघ्रता से निपटाना
18 सर्वोच्च न्यायालय को अपिल
19 दिर्घुरुल एवं अपिलेंट दिर्घुरुल के सामने प्रक्रिया
20 दोष के लिए वर्ण की सूची
21 शक्तियों का प्रत्यायोजन
22 अध्ययन, सदस्य अधिकारियों आदि को जनसेवक मानना
23 सदमाहना से लिए गए कार्य पर संक्षेप
24 मुख्य मैट्रोपोलिटन न्यायाधीश आदि का सहायता प्राप्त करने को शक्ति
25 नागरिकता न्यायालय का सीमा क्षेत्र नहीं
26 ट्रिब्युनल व अपीलेट ट्रिब्युनल के रिक्तता को अवैध कार्य या प्रक्रिया
27 कानूनी प्रतिनिधि को अधिकार
28 सीमाएँ
29 कुछ लम्बित प्रक्रियाओं का हस्तांतरण

अध्याय 16: अपराधों का निश्चयन निर्ण्यादेश एवं विशेष न्यायालय
1 प्रस्तावना
2 विशेष न्यायालय की स्थापना
3 विशेष न्यायालयों द्वारा सुने जाने वाले अपराध
4 अपील एवं पुर्णजीवन
5 विशेष न्यायालय के समुख प्रक्रिया के संहिता का लागू होना
6 गैर – जमानती अपराध
7 क्षणिक प्रावधान
8 कुछ अपराधों का एकीकरण
9 मध्यस्थ एवं सांत्वना निर्णायक दल
10 कम्पनी वकील को नियुक्त करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति
11 रिहाई के विरुद्ध अपील
अध्याय 17: विविध प्रावधान

1 प्रस्तावना
2 कम्पनियों के रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना
3 इस अधिनियम के अत्तर्गत कम्पनियों रजिस्टर होने को अधिकृत
4 सरकारी कम्पनियाँ
5 पंजीयन कार्यालय एवं पोस्ट
6 कम्पनियों द्वारा सूचना या समंक देना
7 निधि
8 विविध प्रावधान

अध्याय 18 निगमित सचिवीय व्यवहार–नोटिस प्रस्ताव सूचना एवं रिपोर्ट को लिखना

1 प्रस्तावना
2 रिपोर्ट बनाने सम्बंधी सामान्य संकेत
3 बोर्ड समा का नोटिस
4 कार्यसूची
5 प्रस्ताव
6 सूचना

अध्याय 19 दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016

1 प्रस्तावना
2 महत्वपूर्ण परिसंहारों
3 निगमित दिवालियापन निराकरण प्रक्रिया
4 परिसमापन प्रक्रिया
5 निगमित्य व्यक्तियों के लिए शिखर दिवालियापन निराकरण
6 निगमित्य व्यक्तियों का स्वीच्छिक परिसमापन
भाग — अ
कम्पनी अधिनियम
कंपनी अधिनियम, 2013 में अधिसूचित परिभाषाएं (Definitions)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 एक परिभाषा अनुभाग है। यह अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों को प्रदान करता है। परिभाषा अनुसार या खंड के निर्देश के लिए आंतरिक साहाय्य के रूप में जाना जाता है और कानून या इसके किसी भी हिस्से की व्याख्या करने या समझने में बहुत उपयोगी हो सकता है।

साथ ही, इसके अतिरिक्त, धारा 2 के खंड 9 के अनुसार, ऐसे शब्द और वर्ण जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं, लेकिन प्रतिमूल्य अनुकूल (विविधता) अधिनियम, 1956 या प्रतिमूल्य और विविध बोर्ड अधिनियम, 1992 या दिल्लीबुजिन्टी अधिनियम, 1996 में परिभाषित किए गए हैं, का अर्थ उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया अर्थ ही होगा।

जब एक शब्द या वाक्यांश अधिनियम में किसी विशेष अर्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह केवल एकमात्र अर्थ है जो इसे कानून क धारा की व्याख्या करते हुए दिया जाना चाहिए, जब तक कि संदर्भ में कुछ भी गलत न हो।

धारा 2 में कहा गया है कि — इस अधिनियम में, जब तक कि अन्य तत्त्व दंडों की आवश्यकता नहीं हैं—

(1) संक्षिप्त प्रविष्टिकरण का मतलब एक वाक्य है जिसमें प्रविष्टिकरण की ऐसी प्रमुख विरोधाभास सुझावित होती हैं, जिन्हें प्रतिमूल्यों और एकसाथ बोर्ड द्वारा इसके लिये नियम बनाकर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) लेखांकन मानकों का मतलब है कि कंपनियों या कंपनियों के मर्म के लिए लेखांकन के मानकों या किसी भी परिषद से जो धारा 133 में निर्दिष्ट है।

अधिनियम की धारा 133, लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए केंद्र सरकार से संबंधित है। धारा के अनुसार, केंद्र सरकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा की गयी विचारधाराओं पर और भारतीय वित्तीय रिपोर्टिङ प्राधिकरण की सलाह से और उसके द्वारा की मई अनुशंसक की पद्धति के बाद, यथा अनुशंसित लेखा मानक या उसके किसी भी परिषद को निर्दिष्ट कर सकती है।

धारा 133 को कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है।

तदनुसार,

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानक ही लेखा मानक माने जाएं जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा धारा 133 के तहत अधीन लेखा मानक निर्दिष्ट न करे।

(ii) जब तक अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत भारतीय वित्तीय रिपोर्टिङ प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता है, तब तक केंद्र सरकार भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
संस्थान द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210A के अन्तर्गत गठित लेखा अनुसंधान का परीक्षा के बाद, यथा अनुसंधान लेखा मानक या उसका कोई भी परिवर्तन का निर्धारित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, धारा 133 द्वारा दी गयी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र, सरकार ने लेखांकन मानक पर राष्ट्रीय संगठन समिति के प्रमाणित से निर्धारित किया कि कंपनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 और कंपनियों (राष्ट्रीय लेखा मानक) नियम, 2015 का पालन किया जा सकता है।

(3) बदलाव या संशोधन में अतिरिक्त, चूंकि और प्रतिस्थापन करना शामिल है;

(4) अपीलीय न्यायाधिकरण का अर्थ धारा 410 के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण से है;

(5) अंतर्निष्ठाओं का मतलब है:

- मूल रूप से तैयार किए गए एक कंपनी के संगठन के लेख, या
- जैसा कि समय - समय पर बदलता गया हो, या
- किसी भी पिछले कंपनी कानून के अनुसरण में लागू, या
- इस अधिनियम के अनुपालन में लागू,

(6) सहयोगी कंपनी, किसी अन्य कंपनी के समबंध में सहयोगी कंपनी का आवश्यक अवसर कंपनी के लिए सहयोगी कंपनी से है जिसमें अन्य कंपनी का अर्थपूर्वक प्रभाव हो, जो व्यापारीय कंपनी की सहयोगी कंपनी हो, इसमें संयुक्त सहयोग कंपनी शामिल है।

रघुविकरण : इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अर्थपूर्वक" का आवश्यक कुल अंश पूंजी अथवा किसी संगठन के अधिकारियों के न्यायिक व्यावसायिक निर्णयों में न्यूनतम 20% निर्माण भी है।

कंपनियों (परिभाषा विवरण का विविधता) नियम 2014 के अनुसार

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अपीलीय "कुल अंश पूंजी" का आवश्यक निर्माण के योग से है

(a) चुकता समाप्त अंश पूंजी, एवं
(b) परिवर्तनीय पूर्तिकारों अंश पूंजी।

परिपत्र विवरण 25/06/2014 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी में एक नौशर्मेंद क्षमता रखने वाले अंशों को सहयोगी कंपनी की संख्या के निर्देशन के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।

छात्र कृपया ध्यान दें এসসি 23/ আইএসডি এসসি 28 (সম্পর্কিত বিদ্যমান বিবরণের মধ্যে এসসি এসএসসি নির্দেশ করুন।)
(7) ऑडिटिंग मानकों का तलाब धारा 143 के उप-धारा (10) में उल्लिखित कम्पनियों या वर्गों के लिए ऑडिटिंग या किसी भी परीशिष्ट के मानकों से है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 लेखा परीक्षकों के अधिकार और कर्त्तव्यों और ऑडिटिंग मानदंडों से संबंधित है। धारा 143 की उप-धारा (10) से यह जानकारी मिलती है केंद्र सरकार चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट, 1949 की धारा 3 के तहत गठित मार्केट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा की गयी सिफारिशों पर और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की सलाह से और उसके द्वारा की गई अनुसरण की परीक्षा के बाद, यथा अनुसार संस्करण लेखा मानक या उसका कोई भी परीशिष्ट को निर्धारित कर सकती है।

(8) “अधि कृत पूंजी” अथवा “नाममात्र पूंजी” का अर्थ ऐसी पूंजी से है, पूंजी के रूप में कंपनी के सीमान्य अधिनियम में लिखित है, जो कंपनी की अधिकतम शेयर पूंजी होगी।

(9) बैंकिंग कंपनी का तलाब ऐसी बैंकिंग से है जो बैंकिंग निविदयन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी) में परीक्षित है।

(10) कंपनी के संबंध में निदेशक गंडल या बोर्ड का तलाब कंपनी के निदेशकों के सामूहिक निकाय से है।

(11) निगमित निकाय या निमित्तों में एक कंपनी शामिल है जो भारत के बाहर निगमित है लेकिन इसमें शामिल नहीं है।
   (i) सरकारी समितियों से संबंधित भी किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति, तथा
   (ii) कोई अन्य निगमित निकाय (इस अधिनियम में परीक्षित कंपनी के रूप में नहीं), जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;

(12) पुस्तक और पेपर और पुस्तक या पेपर में बड़ी खाते, विलेख, रसीद, लेखन, दस्तावेज, रूपांतरण और रजिस्टर शामिल हैं जिनको कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखा है: कंपनी (परिवार वित्त का विशिष्ट) नियम, 2014 के अनुसार “ई-कॉम” का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक फॉर्म है जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए निमित्तों में निर्धारित और इस अधिनियम के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(13) बड़ी खाता में निर्धारित के संबंध में बनाए गए रिकॉर्ड शामिल हैं –
(i) एक कंपनी द्वारा प्राप्त और व्यय किए गए सभी धनराशि और प्राप्तियाँ और व्यय के संबंध में नामले;  
(ii) कंपनी द्वारा गाल और सौगातों की सभी बिक्री और खरीद;  
(iii) कंपनी की सम्पत्ति और देनदारियाँ;  
(iv) खंड 148 के अन्तर्गत निधारित वस्तु को लागू उस कंपनी के नामले में जो उस खंड के तहत निर्धारित कंपनियों के किसी भी वर्ग के अन्तर्गत आती है;  

(14) किसी कंपनी के संबंध में शाखा कार्यालय का मतलब है कंपनी द्वारा बताए गये किसी संस्थान से है,  
(15) यादित पूँजी का अर्थ पूँजी के उस भाग से है जिसे सुधारने के लिए माँगा गया है;  
(16) "प्रभार" का अर्थ एक हित अथवा ग्रहणाधिकार से है जो कंपनी की सम्पत्तियों अथवा भवन अथवा किसी उपक्रम अथवा दोनों पर सुस्था के लिये सूचित किया जाता है इसमें 'ब्लॉक' शामिल है।  
(17) चार्टर्ड एकाउंटेंट का मतलब चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट, 1949 की धारा 2 के उप-धारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट से है, जो उस अधिनियम की धारा 6 के उप-धारा (1) के तहत अभ्यास का वैध प्रमाण पत्र रखता है;  
(18) मुख्य कार्यालय (सी ई ओ) का अर्थ है कंपनी का एक अधिकारी जिसे इस अनुप्रयोग में नामित किया गया है;  
(19) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफआई) का अर्थ किसी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है,  
(20) कंपनी का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी के चितान के अन्तर्गत की गयी कंपनी से है (उपयुक्त परिभाषा के साथ धारा 2 (फिल्मा कंपनी कानून) के खंड 67 देखें)  
(21) गारण्डी द्वारा सीमित कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसके लाभकारों को दायित्व उसके सीमित प्राप्तियों में निर्धारित उस राशि तक सीमित रहता है, जो वे कंपनी के समापन के समय कंपनी की सम्पत्तियों के लिए अंशदान करने का वचन देते हैं।
(22) अंशों द्वारा सीमित कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिये गये अंशों पर अदात राशि, यदि कुछ हो, के लिए, इसके सीमान्य द्वारा सीमित होता है।

(23) कंपनी परिषाल्पक का मतलब इस अधिनियम के तहत कंपनी के समापन के लिए धारा 275 प्राधिकर्मों के अनुसार कंपनी परिषाल्पक के रूप में नियुक्त द्वारा सीमित व्यक्ति से है।

यह परिभाषा, दिवालिकायन और दिवालिकायन संहिता, 2016 के अनुसार दी गयी संशोधित परिभाषा है। यह समापन के संबंधित प्राधिकर्मों के लिए प्रासंगिक है।

(24) कंपनी सचिव या सचिव का मतलब सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 के उप-धारा (1) के खंड (सी) में परिभाषित कंपनी सचिव से है, जो इस अधिनियम के तहत कंपनी सचिव के कार्यों को करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है।

छट: यह खंड 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार धारा 8 (चेंबर्टेल लक्ष्य के लिये निर्मित कंपनियों) आदि पर लागू नहीं होगा।

(25) अम्यास में कंपनी सचिव का मतलब ऐसे कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 के उप-धारा (2) के अन्तर्गत अम्यास में माना जाता है;

(26) अशाद्यता का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि किसी कंपनी में पूरी तरह से सुकृत किए गए अंशों को सीमित किया जा सकता है।

(27) नियामक में निर्देशकों के बहुत से नियुक्त करने का अधिकार अथवा प्रबंधन पर नियामक अथवा प्रबंधन कार्य या अन्य अर्थ बदलाव के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह के अंशाधारित अन्य अधिकार अथवा प्रबंधन के लिए अनुमति को प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार, यह नियामक निर्देशक के उपर अथवा उपर से संबंधित प्राधिकर्मों के लिए प्रासंगिक है।

(28) लागत लेखाकार का अर्थ लागत और वक्तृत्व एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के उप-धारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित एक लागत लेखाकार से है।
(29) **Nayakalaya ka matlaw hain** – Court means –

(i) **Uchh Nayakalaya** ka adhikar kshetra uas sthan ke sambandh mein zis par sambhitt kompani ka panchikruth karyaalaya shriut hain, par uas simma tak ko chodkar zis par kisi bhi jila nayakalaya ya up-khand ke tathat uas uchh nayakalaya ke aapin jila nayakalyon ka adhikar hain;

(ii) **Jila Nayakalaya**, un mamsalain mein jahin kund sirakar ne, adhikshanha dharar, uchh nayakalaya dharan diwe gaye sabhi adhikar kshetra mein pryogast, iske adhikar kshetra ke darake ka aarttata ek kompani ke sambandh mein jiska panchikruth karyaalaya usse jile mein shriut hoi, uas jila nayakalaya ko sanjatk kriya hain;

(iii) **Rat Nayakalaya** jisakal adhikar kshetra hain ise adhinishukam ke tathat ya kisi bhi paurv kompani kaanun ke aarttata kisi bhi aparaj ka joche;

(iv) **Dhara** 435 ke tathat sthapatit vivesh adalat;

(v) koi bhi metropolitana mitti-straat ya pratham shreni ke jyagik mitti-straat jisakal ise adhinishukam ke aarttata ya kisi bhi paurv kompani kaanun ke tathat koi aparaj ka joche ka adhikar hain.

(30) **shrapti** ke aarttata shrapti, sthak, baandh tatha kompani ke abh pritiyukti sanjatk hain vo iske dharar kompanion ke sanjatkion par koi bhi prabhar nirmita hota hain ya nahi,

(31) “Jama” se shriut hain kompani dharan kisi rashi ke prapti, shrapt aathva jama aathva abh kisi rupin mein, parntu isme te rashi ya shriut nahi hongi jo rizwab bank se parampar ka parvashati nintikheti jaise,

(32) **Dhoppotirdi** ka abh 812 dhoppotirdi se hain jo dhoppotirdi adhinishukam, 1996 ke dhara 2 (1) (5) se prabharik hain;

Dhoppotirdi adhinishukam ke anusar, dhoppotirdi ka matlaw ek kompani hain jo ki kompani adhinishukam, 1956 ke tathat ghatit aur panchikruth hui aur jisse sanvib adhinishukam, 1999 ke dhara 12 ke up-dhar 1(1) ke tathat panchikruth ka praman darya hain

(33) **Yojak** ka matlaw pritiyukti sanvita (viniyaman) adhinishukam, 1956 ke dhara 2 (6) se prabharik yojak se hain

pritiyukti sanvita (viniyaman) adhinishukam, 1956 ke dhara 2 (6) ke anusar, shabd yojak ke shriut hain
• एक ऋण साधन से उत्पन्न प्रतिमूल्य, अंश, ऋण चाहे सुरक्षित या असुरक्षित, जोखिम साधन या मतभेद या किसी अन्य प्रकार की प्रतिमूल्य के अनुबंध;

• एक अनुबंध जो अनिवार्य प्रतिमूल्यों की कीमत, या कीमत के सूचकांक से उसका मूल्य प्राप्त करता है;

(34) निदेशक का मतलब एक कंपनी के मंडल के नियुक्त निदेशक हैं;

(35) लाभांश में कोई अंतरिम लाभांश शामिल हैं;

(36) “दस्तावेज” में बुलावास, नोटिस, मांग, आदेश, घोषणा, संदेश और रजिस्टर शामिल है, वाहे जारी किए गए, भेजे गए या इस अधिनियम के या किसी अन्य तस्वीर प्राप्त क्रम में इनुपालन में कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में टोकन या रेखा हो;

(37) कर्मचारी स्टॉक विकल्प का अर्थ है कि कंपनी के निदेशक, अधिकारियों या कर्मचारियों को या उसके होटिंग कंपनी या सहायक कंपनी या कंपनियों को दिया गया विकल्प, यदि कोई है, जो प्रति निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को, लाभ या खरीद के अधिकार, या पूर्व – निवाशित मूल्य पर भविष्य की तारीख में कंपनी के अंशों की सदस्यता है;

(38) विशेषता में एक इंजीनियर, एक वैल्यूट्रेड, एक वार्डर्स एकाउंटेंट, एक कंपनी सचिव, एक लागत विशेषक और किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिसकी पास किसी अन्य तस्वीर प्राप्त करने का अधिकार हासिल करने का अधिकार प्राप्तिक है;

(39) वित्तीय संस्थान में एक अनुसूचित बैंक जो (धारा 2 (80) के अनुसार) दी गयी है, और कोई भी अन्य वित्तीय संस्था जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार निवाशित या अन्तर्गत हुई है;

(40) किसी कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण, शामिल है –

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में एक बैलेस शीट;

(ii) एक लाभ और हानि खाता, या ऐसी कंपनी के मामले में जो लाभ के लिए काम नहीं कर रही, वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय खाते;

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण;

(iv) इकाइयों में परिवर्तन का बयान, यदि लगू हो, तथा तात्पर्य;

(v) कोई वार्तालाप नोट जो उपलब्ध (iv) को उप-खंड (i) म निर्देश किसी भी वित्तीय वर्ष का संचालन या हिस्सा होता है;

वर्तमान कि, एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निक्षेप कंपनी के वित्तीय विवरण में, नकद प्रवाह बयान शामिल नहीं होता है;
नोट: छात्र यह ध्यान रख सकते हैं कि कुछ स्थानों पर 'लाम और हानि खाता अधिनियम' के तहत 'लाम और हानि का कार्यान्वयन' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुसूची III।

(41) किसी भी कंपनी या बॉर्ड कॉर्ट में संबंधित वित्तीय वर्ष का मात्र तब है कि हर वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि, और जहां इसे वर्ष के जनवरी के पहले दिन या उसके बाद निगमित किया गया हो, तो अगले वर्ष के मार्च के 31 तित दिन समाप्त होने वाली अवधि, जिसके संबंध में कंपनी या बॉर्ड कॉर्ट का वित्तीय विवरण बनाया गया है।

वैश्विक कि किसी कंपनी या बॉर्ड कॉर्ट द्वारा किये गये आवेदन पर जो भारत से बाहर निगमित कंपनी की एक हालियह कंपनी या एक सहायक कंपनी है और भारत से बाहर अपने खातों के सामने के लिए एक अलग वित्तीय वर्ष का प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो ट्रिब्यूनल अगर सत्तुपत्त है तो, अपने वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी अवधि की अनुमति देने सकता है, चाहे वह अवधि एक वर्ष हो या नाही।

उदाहरण: यदि कंपनी का निगमन तिथि 1 सितंबर, 2016 है, तो पहला वित्तीय वर्ष 1 सितंबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक होगा। यदि निगमन तिथि 1 जनवरी, 2016 है तो पहला वित्तीय वर्ष 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 होगा।

(42) विदेशी कंपनी से आयात ऐसी कंपनी अथवा निगमित निकाय से है जिसका निगमन भारत के बाहर हुआ हो और जिसका –

(a) भारत में व्यवसाय का स्थान है। चाहे स्वयं अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा, एवं

(b) किसी भी रूप में भारत में व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित करती है।

कंपनी (परिसर) के निर्देशिकार नियम, 2014 के अनुसार, "इलेक्ट्रॉनिक ढंग" जैसा कि परिषद में दिया गया है, का आशय इलेक्ट्रॉनिक आधार पर संचालन से है, चाहे प्रमुख सर्वर भारत में स्थापित हो अथवा नहीं, जिसमें शामिल है, परन्तु सीमित नहीं है—

(i) व्यवसाय से व्यवसाय एवं व्यवसाय से ग्राहक व्यवहार, डाटा इंटरचेज एवं अन्य डिजिटल पूर्व-व्यवहार

(ii) भारत में अथवा भारतीय नागरिकों से निकायों का संबंधित नियोजन अथवा ग्राहकों को स्वीकारने का प्रस्ताव अथवा ग्राहकों के लिये आमंत्रण अथवा ग्राहकों को स्वीकृति अथवा ग्राहकों का संबंधित;
(iii) वित्तीय विकरण, वेब आधारित विपणन, परामर्श एवं लेनदेनी सेवाएं, डाटा आधारित सेवाएं अथवा उत्पाद, पूर्ति शृंखला प्रबंधन;
(iv) ऑनलाइन सेवाएं जैसे कि टेलीमार्केटिंग, टेली सम्प्रेषण, टेलीमेडिसिन, शिक्षा एवं सूचना सम्बंधी शोध; एवं
(v) सभी सम्बंधित डाटा सम्प्रेषण सेवाएं।

चाहे इनका संचालन, ई-मेल, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, क्लाउड कम्प्यूटिंग, प्रत्य प्रबंधन, ध्यान अथवा समक्ष संचरण अथवा अन्यथा किसी भी रूप में होता है;

43) स्वतन्त्र संचय का अर्थ ऐसे संचय से है जो कि एक कंपनी की नवीनतम लेखापूर्वकश्ल बैलेस शीट के अनुसार, लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध है;

बशर्ते—

(i) अनावृत लाभ, धारणागत लाभ या परिसंपत्तियों के पुनरूपायोग का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी राशि, चाहे वह संचय या अन्यथा के रूप में दिखाया जाए, या

(ii) इकाइयों में स्वीकृत अन्यथा किसी सम्पत्ति या दायित्व की राशि में कोई बलाव जिसमें, सम्पत्ति या दायित्व के उद्धरण मूल्य पर मूल्यांकन करने पर लाभ एवं खाताओं में अधिकार सम्मिलित हो, स्वतन्त्र संचय की तरह नहीं मानें जायेंगे;

44) वैश्विक डिपोजिटरी रसीद से आशय ऐसे डिपोजिटरी रसीद के रूप में किसी प्रपत्र से है, चाहे जिस नाम से जाना जाये जो भारत के बाहर एक विदेशी डिपोजिटरी द्वारा निर्मित हो तथा ऐसे डिपोजिटरी रसीद को जारी करने वाले कंपनी के द्वारा अधिकृत हो;

इस परिस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 41 के साथ पद्धति है जो वैश्विक डिपोजिटरी रसीद जारी करने के लिए प्रदान करता है।

45) सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें न्यूनतम 51% शुल्क अंश पूंजी केन्द्रीय सरकार व किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आशिक रूप से केन्द्रीय सरकार एवं आशिक रूप से एक अथवा अनेक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो।
उदाहरण : X एक ऐसी कंपनी है जिसमें 50% शेयर धारिता केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। यहाँ X सरकारी कंपनी नहीं है क्योंकि यहाँ दस शेयर पूंजी की न्यूनतम भागीदारी का कोई अनुपालन नहीं है i.e. केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा न्यूनतम 51% हो।

(46) एक या अधिक अन्य कंपनियों के समबन्ध में अधिकार कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियों अधिकृत कंपनियों हैं,

“अधिकृत कंपनी” के अर्थ के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (८७) में दी गई परिभाषा देखें।

(47) स्वतंत्र निदेशक का मतलब है एक स्वतंत्र निदेशक जो धारा १४९ (५) में निर्दिष्ट है;

(48) भारतीय डिप्यूटीरी रसीद से आशय एक डिप्यूटीरी रसीद के रूप में किसी प्रमुख से है, जो भारत में एक अन्तर्राजिय प्रमुख रसीद निर्मित हो तथा ऐसी डिप्यूटीरी रसीद जारी करने वाली भारत के बाहर निर्मित किसी कंपनी द्वारा अधिकृत हो।

इस खंड को धारा ३९० के साथ पढ़ा जाना है जो भारतीय डिप्यूटीरी रसीदों के प्रस्ताव के संबंध में है।

(49) आकृष्ट निदेशक का अर्थ एक ऐसे निदेशक से है जो किसी भी तरह से, चाहे खुद या अपने किसी संबंधी या ऐसी किसी फ़र्म, निर्मित निकाय या अन्य व्यक्तियों के साथ, किसी भी दृष्टि से जिसमें वो खुद या उनका कोई भ संबंधी साथी, निदेशक या सदस्य है, कंपनी के द्वारा या कंपनी की ओर से किए गए किसी भी अनुच्छेद में या व्यवस्था में या प्रस्तावित अनुरोध या व्यवस्था में आकृष्ट हो।

यह परिभाषा कंपनी अधिनियम, 2013 के निदेशक मंडल की बैठकों के लिए कोष्ठ से संबंधित धारा १७४ के लिए, निदेशकों द्वारा ब्याज के प्रकटकरण से संबंधित धारा १८४ के लिए और पक्ष लेनदेन से संबंधित धारा १८८ के लिए भी प्रासंगिक है।

(50) निर्मित पूंजी का आशय ऐसे पूंजी से है जिसे समय-समय पर अंशदान के लिए कंपनी निर्मित करती है;

(51) एक कंपनी के संबंध में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का मतलब है –

| (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, |
| (ii) कंपनी सचिव; |
| (iii) पूर्णकालिक निदेशक; |
| (iv) मुख्य नित्याधिकारी, तथा |
| (v) ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित किये जा सकते हैं; |
हालाँकि, अब तक कोई अन्य अधिकारी निर्धारित नहीं किया गया है।

(52) सूचीकृत कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी प्रतिपूर्तियाँ किसी मान्य स्थन पर विपणन पर सूचीकृत किए जाएँ जाएँ।

(53) प्रबंधक का अध्यक्ष हे एक व्यक्ति जो, निदेशक मंडल की निगरानी, नियंत्रण और विदेशी अधीन है, कंपनी के मामलों का संपूर्ण या पूर्वांग रूप से पूरे का प्रबंधन करता है, और इसमें निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति जिसका प्रबंधन का पद है, जो वह नाम से जाना जाए, शामिल है, चाहे सेवा के अनुकूल हो या नहीं;

(54) प्रबंध निदेशक का मतलब एक निदेशक से है, जिसे कंपनी के अन्तर्गत कोई अधीन स्थानीय, अनुसार या सामान्य बैठक में या उसके निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके कंपनी के मामलों के प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियों सीमा गई हो। और इसमें एक निदेशक जिसने प्रबंध निदेशक का पद लिया हुआ है, चाहे जिस भी नाम से शामिल है।

स्पष्टीकरण : इस खंड की प्रयोजनों के लिए, बोर्ड द्वारा प्रविष्ट किये गए पर, एक नियुक्त प्रकृति से प्रशासनिक कृतियों को करने की शक्ति जैसे कि कंपनी के किसी भी दर्जानवेत पर कंपनी की सार्वजनिक मुद्दों लगाने की शक्ति, या किसी भी बैठक में कंपनी के किसी भी खाते में वैक का बनाना और उसकी पुष्टि करना, या किसी भी परम्परागत उपकरण को बनाना और उसकी पुष्टि करना, या रॉयलट के किसी भी मुद्दा पत्र द्वारा प्रस्ताव करना, या किसी भी हिस्से के हस्तांतरण का प्रत्येक वर्ष करना, प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियों के अन्तर्गत शामिल नहीं समझा जाएगा।

(55) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (55) "सदस्य" को परिभाषित करती है। किसी कंपनी के समस्त से सदस्य का आशय है -

(i) सीमानायम का अभिव्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनाने के लिए सहमत हुआ है और पंजीकरण पर्याप्त उसका नाम सदस्य के रूप में सदस्य के लिए रजिस्टर में लिखा जायेगा;

(ii) प्रबंधक अन्य व्यक्ति जिसने लिखित रूप में कंपनी का सदस्य बनाने के लिए अपनी सहमति दी है और जिसका नाम कंपनी के सदस्य के रूप में पंजीकृत है;

(iii) कंपनी के अवस्था का प्रत्येक धारक और जिसका नाम हिपोजिस्टरी के रिकॉर्ड में हितदारी स्थानी के रूप में पंजीकृत है।

(56) सीमानायम का आशय एक कंपनी के ऐसे पारित सीमानायम से है, जो पिछले किसी भी अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया अथवा समाय—समय पर परिवर्तित किया गया है।
(57) कुल मूल्य से आशय चुकता अंश हृदी एवं संचित हानियों आधिकृत (Deferred) यथा न खारिज किये गये विविध यथा, अंतर्भावित स्थिति विवरण के अनुसार, के कुल मूल्य को घटाने के बाद लाभों तथा शेयर प्रीमियम खातों से बनाये गये संचय, हालांकि का राशि से है, परंतु जिसमें सम्पत्तियों के पुनः मूल्यांकन से बनाये गये संचय, हालांकि का पुनः लेखन तथा समापेलन (Amalgamation) सम्मिलित नहीं होंगे।

(58) अधिसूचना का गतलब अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और "पूर्वित" अभिव्यक्ति की तदनुसार समझा जायेगा।

(59) अधिकारी में कोई भी निदेशक प्रधान या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति जिसके निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल या कोई भी एक या अधिक निदेशक कार्य करने के आदेश है, शामिल है।

(60) अधिकारी जो दोषी है, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के प्रयोजन के लिए, जो यह बताता है कि अधिकारी जो दोषी है कारावास या जुर्माना या अन्यथा के द्वारा किसी भी दंड के लिए उल्लंघनी होगा, का आशय कम्पनी के कोई भी निम्नलिखित अधिकारियों में से है, अर्थात् —

(i) पूर्णकालिक निदेशक:
(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी (KMP):
(iii) जहाँ कोई प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी नहीं है, ऐसे निदेशक या संचालक जिन्हें मंडल ने ऐसे लिए निर्देश किया है और जिसमें वे निर्देशक मंडल का इस तरह का विनिर्देश के लिए लिखित रूप में सहमति दे दी है, वहाँ से निदेशक, यदि कोई भी निदेशक निर्देश नहीं है तो;
(iv) कोई भी व्यक्ति जो, बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी अथवा किसी प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी के अनुभव, संस्थान, लेखों अथवा अन्य लेखों की प्रशिक्षण या विवरण का अधिकारकरण संबंधित भागीदारी, जानबोधक अनुभार अनुभार देने या किसी धोखाधड़ी को रोकने हेतु संक्रय कदम उठाने में असफल होने के किसी दायित्व के लिए प्रभावित हो;
(v) कोई भी व्यक्ति जिसके निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कम्पनी का निदेशक मंडल कार्य करने के आदेश है, एक ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त जो मंडल को पेशेवर काम कर सके जाता है;
(vi) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के सम्बन्ध में हर निदेशक जिसके उल्लंघन की जानकारी है मंडल की कार्यवाही के प्राप्त होने या उन कार्यवाही में जिन्हें आयतन जताए भागीदार बनने के आदेश पर या जहाँ इस तरह का उल्लंघन उसकी सहमति या उपेक्षा से हुआ हो।
(vii) कम्पनी के किसी भी अंशों के निर्ममन या हस्तांतरण के संबंध में, शेयर हस्तांतरण एजेंट रजिस्ट्राॅर और निर्ममन या हस्तांतरण के लिए मर्केट बैंकर,

उदाहरण एक कम्पनी में अधिकारियों द्वारा अंशों आवंटन के संबंध में अपराध किया गया। कम्पनी में कोई प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, सचिव, मंडल द्वारा अधिनियम के प्रावृक्षों का पालन करने के लिए किया गया निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है, और ही कोई भी निदेशक/निर्देशक को मंडल ने निर्दिष्ट नहीं किया था। इसलिए, ऐसी स्थिति में, कम्पनी के सभी निदेशकों को अधिकारी जो दोषी है, माना जाएगा।

(61) अधिकारिक परिसंचालन का आशय धारा 359 के उप-धारा (1) के तहत नियुक्त अधिकारिक परिसंचालन से है,

(62) एक व्यक्ति कंपनी का मतलब है एक कंपनी जिसके सदस्य के रूप में केवल एक ही व्यक्ति है,

(63) सामान्य या विशेष प्रस्ताव का अर्थ है एक साधारण प्रस्ताव या जैसा मानला हो, विशेष संकल्प जो कि धारा 114 (सामान्य और विशेष संकल्प) में निर्दिष्ट है।

(64) चुक्ता अशा पूँजी अथवा अश पूँजी प्रदत्त से आशय चुक्ता के रूप में जमा की गई पूँजी की कुल राशि से है जो निर्मित किये गये अंशों के समन्वय में चुक्ता के रूप में प्राप्त हुई राशि के बराबर है तथा जिसमें कंपनी के अंशों के समन्वय में चुक्ता के रूप में जमा की गयी कोई भी राशि समिलित है, फलतः इसमें इन अंशों के समन्वय में प्राप्त हुई कोई भी अन्य राशि समिलित नहीं है, जो नाम दिया जाएँ:

(65) ढाक मतपत्र से आशय ढाक के द्वारा मत अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किया गया मत है।

(67) पूर्वकंपनी का पाउने नीचे दिए किसी भी कानून से है

(i) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1866 से पहले लागू, कंपनियों के समन्वय में अधिनियम,
(ii) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1866
(iii) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882
(iv) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913
(v) स्थानान्तरित अध्यादेश 1942 का पंजीकरण
(vi) कंपनी अधिनियम 1956 तथा
(vii) कोई भी ऊपर दिए अधिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुरुप कोई भी
कानून तथा जो लागू हो -

(A) मिले हुए राज्य क्षेत्र में अथवा भाग B राज्य में (जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त) अथवा उसके किसी भाग में वहाँ पर भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के प्रसार से पूर्व, अथवा

(B) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में और उसके किसी भाग में जम्मू एवं कश्मीर (कानून के विस्तार में) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ होने से पूर्व जहाँ तक बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय निगम संबंधित, तथा जन्मदिन कानून (जम्मू एवं कश्मीर का विस्तार) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ से पूर्व, जहाँ तक अन्य निगम संबंधित है;

(viii) पूर्वार्धी वाणिज्यिक कोड, जहाँ तक यह संयुक्त स्टॉक कंपनी (Sociedadesanomonimas) से संबंधित है;

(ix) कंपनी (शिक्षक, अधिनियम, 1961 का पंजीकरण)

(६८) निजी कंपनी का अर्थ है एक कंपनी जिसके पास निधारित की गई न्यूनतम चुकता अंश पूँजी हो, तथा जो इसके नियमों के द्वारा –

(i) इसके अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करें

(ii) एक व्यक्ति कंपनी के मामले के अतिरिक्त, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित करनी हो. बताया गया है कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति कंपनी में संयुक्त रूप से एक या अधिक अंश धारित करते हों, उन्हें, इस अनुच्छेद के प्रयोग के लिए एक ही सदस्य माना जाएगा।

आगे बताया गया है कि –

(A) व्यक्ति जो कंपनी के रोजगार में है, तथा

(B) व्यक्ति जो गृहमात्र में कंपनी के रोजगार में रह चुके हैं, उनके रोजगार के दौरान कंपनी के सदस्य भी थे तथा रोजगार समाप्त होने के बाद सदस्यों के रूप में जारी हैं;

सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं किए जाएंगे, तथा
(iii) कम्पनी की किसी भी प्रतिभूति के लिए जनता के द्वारा अंशदान के किसी भी
निमंत्रण को निषेध करती है।
5 जून, 2015 दिनांक की अधिसूचना के तहत न्यूनतम चुकता अंश पूँजी रखने के
आवश्यकता धारा 8 कम्पनी के ऊपर लागू नहीं होगी।

प्रवर्तक से आशय उस स्थान से है
(a) जिस प्रवर्तक में ऐसा नाम दिया गया है या वार्षिक विवरण में वर्णित किया गया;
(b) जिसके पास कम्पनी के प्रशासन का नियन्त्रण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाहे
अभाव पर या निर्देशक के रूप में या अन्य रूप में, या
(c) जिसकी सलाह मार्गदर्शन या निर्देश के अनुसार निर्देशक गण्डल कार्य करने के लिए
अधिकतम है।

उपर्युक्त C उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पैशोंकर क्षमता में काम कर रहा है;
(70) प्रवर्तन के रूप में वर्णित या निर्मित लिए गए किसी भी दस्तावेज से है तथा
जिसमें रेड है उस प्रवर्तन अथवा सामाजिक नियाम को किसी प्रतिभूति को क्रम
करने या अंशदान करने के लिए जनता को प्रस्ताव देने वाले किसी सूचना, परिपत्र,
विज्ञापन अथवा अन्य दस्तावेज सम्मिलित है।

(71) सार्वजनिक कम्पनी का अर्थ है एक कम्पनी जो--
(a) निजी कम्पनी न हो
(b) जिसके पास निधीयता की गई न्यूनतम चुकता अंश पूँजी हो

बताया गया है कि वह कम्पनी जो कम्पनी की सहायक हो निजी कम्पनी न हो
उसे सार्वजनिक कम्पनी इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए माना जाएगा यहाँ तक
कि वह सहायक कम्पनी अपने लेखों में निजी कम्पनी ही रहेगी;
उदाहरण: A प्राइवेट लि. पूर्व स्वामित्व सहायक है AB लि. की A लि. निजी
कम्पनी को मिलने वाली छूटों का लाभ उठाना चाहता है इस मामले में जब से
AB लि. की सहायक, जो कि सार्वजनिक कम्पनी है, इसलिए A प्राइवेट लि.
सार्वजनिक कम्पनी माना जाएगी तथा इसे छूट प्राप्त करने के लाभ नहीं होगा
जैसे – निजी कम्पनी को दी गई।
5 जून, 2015 दिनांक की अधिसूचना के अन्तर्गत न्यूनतम चुकता अंश पूँजी रखने
के आवश्यकता धारा 8 कम्पनी के ऊपर लागू नहीं होगी।
यद्यपि कुछ भी इस बारे में नहीं दिया गया है। इसलिए निजी कम्पनी बनाने हेतु
कोई भी न्यूनतम चुकता अंश पूँजी नहीं है।
(72) सार्वजनिक वित्तीय अंश अर्थ है –

(i) जीवन बीमा निगम अधिनियम 1965 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम।

(ii) इस अधिनियम की धारा 465 के अन्तर्गत निरस्त किए गए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4A की उपधारा के खंड vi में दी गई अवस्थाओं नियम विकास बिल कम्पनी लि.

(iii) निर्देश कम्पनी में इनके लिए संदर्भित शून्य मॉटर ऑफ इलियोडिया प्रक्रिया और निर्माण का हास्यलाल करता है। अधिनियम, 2002,

(iv) इस अधिनियम की धारा 465 के अन्तर्गत निरस्त किए गए कम्पनी अधिनियम की पारंपरिक सवारक द्वारा अपने संबंधों के पारंपरिक संबंधों में कोई भी संबंध अधिकृत नहीं है। 

(A) वह किसी वन्दना या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किया गया है।

(B) चूंकि अंश पूंजी के न्यूनतम 51% केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य अथवा सरकारों अथवा केंद्र सरकार अथवा आर्थिक तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक धारण अथवा नियंत्रित किया जाए।

(73) पंजीकृत स्टॉक एक्सचेज का अर्थ एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेज से है जैसा प्रतिगृहीत, अनुसंधान (नियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (f) में परिभाषित है।

(74) कम्पनी के रजिस्ट्रर रजिस्ट्रर of Company का अर्थ कंपनियों के रजिस्ट्रर से है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रर द्वारा दस्तावेज पर अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाए जाते है।

(75) रजिस्ट्रर रजिस्ट्रर का अर्थ एक रजिस्ट्रार, एक अतिरिक्त रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, एक उपरजिस्ट्रार तथा एक सहायक रजिस्ट्रार से है जिनका कम्पनियों के पंजीकरण करने तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत क्रियाओं का नियांकन का दायित्व होता है।

(76) सम्बन्धित प्रश्न का एक कम्पनी के सम्बन्ध में आशय:

(i) निेशक और उसके परिचित;

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और उसके परिचित;

(iii) एक फर्म जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या सम्बन्धी साझेदार हो;
(iv) एक निजी कम्पनी जिसमें निर्देशक, प्रबंधक या उसका समबंधी एक सदस्य या निर्देशक हो;

(v) एक सार्वजनिक कम्पनी जिसमें निर्देशक, प्रबंधक और निर्देशक हो जो अपने समबंधी के साथ चुकता अंश पूँजी का 2% से अधिक धारण करता हो;

(vi) कोई सामाजिक निकाय जिसमें निर्देशक मण्डल प्रबंधक निर्देशक या प्रबंधक कार्य करने के लिए अयस्त है

(vii) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह निर्देश या सूचना से निर्देश या प्रबंधक कार्य करने के लिए अयस्त है

बताया गया है कि उपखण्ड (vi) और (vii) से कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह अथवा दिशा निर्देश अथवा आदेशों पर लागू नहीं होगा.

(viii) कोई भी कम्पनी जो—

(A) ऐसी कम्पनी की अधिकार, अधिकृत अथवा सहायक कम्पनी हो; अथवा

(B) एक अधिकार कम्पनी की अधिकृत कम्पनी जिसकी यह भी अधिकृत कम्पनी हो

5 जून, 2015 दिनांक को अधिसूचना सं गसर 464E के तहत धारा 188 के समबंध में यह खण्ड (viii) निजी कम्पनी पर लागू नहीं होगा.

(ix) ऐसे अन्य व्यक्ति जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

नियम 3 के अनुसार कम्पनी (परिबंध विवरणों का विनिर्देश) नियम, 2014 अनुसार 2 की धारा (76) की उपाध्याय के उद्देश्य के लिए, एक अधिकार कम्पनी के निर्देशक (वर्तमान निर्देशक के अतिरिक्त) अथवा गृही प्रबंधकीय कर्मचारी अथवा उस कम्पनी के समबंध में उसका समबंधी को, एक समबंधी पक्ष माना जाएगा।

उदाहरण: (1) XYZ प्राइवेट लिट. की दो अधिकृत कम्पनियों हैं, Y प्राइवेट लिट. तथा Z प्राइवेट लिट. यहाँ धारा 2(76) (viii) (B) के अनुसार, Y प्राइवेट लिट. तथा Z प्राइवेट लिट. सम्बन्धित पक्ष है। हालांकि, 5 जून, 2015 दिनांक की अधिसूचना संग्रह GSR 464 (E) के अनुसार, खण्ड (viii) एक निजी कम्पनी की धारा 188 के समबंध में लागू नहीं होगा। इसीलिए प्राइवेट लिट. तथा Z प्राइवेट लिट. धारा 188 के उद्देश्य से सम्बन्धित पक्ष नहीं है। यदापि, यदि Y प्राइवेट लिट. तथा Z प्राइवेट लिट. में सामान्य निर्देशक हो, तो यह धारा 2(76) (iv) के कारण सम्बन्धित पक्ष माने जाएगे।

अब मान लिजिए XYZ लिट. एक सार्वजनिक कम्पनी है, तथा उसकी दो अधिकृत कम्पनी है Y प्राइवेट लिट. तथा Z प्राइवेट लिट.। यहाँ धारा 2 (71) के अनुसार, एक
निजी कंपनी जो एक सार्वजनिक कंपनी की अधिकृत तथा भागीदार तथा एक सार्वजनिक कंपनी की अधिकृत कंपनी है उसे एक सार्वजनिक कंपनी नामा जाएगा, इसलिए Y प्राइवेट लिटर तथा Z प्राइवेट लिटर नाम का अनुसार 5 जून, 2015 की अधिसूचना से G.S.R. 464 (E) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसलिए धारा 2 (76)

(viii) (B) के अनुसार Y प्राइवेट लिटर तथा Z प्राइवेट लिटर सम्बन्धित पक्ष है। इसके अतिरिक्त XYZ लिटर तथा Z प्राइवेट लिटर का सम्बन्धित पक्ष होगा।

(77) सम्बन्धी का किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में आशय है कोई भी जो दूसरे से सम्बन्धित हो, यदि –

(i) वे हिन्दू अनुसार परिवार के सदस्य हो,

(ii) वे पति व पत्नी हो; अथवा

(iii) एक व्यक्ति उस तरीके से दूसरे से सम्बन्धित हो जैसा कि दिया गया हो; कंपनी (परिभाषा विवरणों का विनिर्देश) नियम, 2014 में दिया गया नियम 4 धारा 2 खण्ड (77) के सम्बन्ध में सम्बन्धियों की सूची पदान्त करता है। इसके अनुसार, एक व्यक्ति दूसरे का सम्बन्धी माना जाएगा यदि वह (लड़का अथवा लड़की) निम्न प्रकार से सम्बन्धित है:

(1) पिता : दिया गया है कि पिता की परिभाषा में सौतेला पिता सम्बन्धित है।

(2) माता : दिया गया है कि माता परिभाषा में सौतेली माता सम्बन्धित है।

(3) बेटा : दिया गया है कि बेटे की परिभाषा में सौतेला बेटा भी सम्बन्धित है।

(4) पुत्र की पत्नी

(5) पुत्री

(6) पुत्री का पति

(7) भाई : दिया गया है कि भाई की परिभाषा में सौतेला भाई सम्बन्धित है।

(8) बहन : दिया गया है कि बहन की परिभाषा में सौतेली बहन सम्बन्धित है।

(78) परिवारिक से आशय किसी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए दिया गया अथवा पारित किया गया धन अथवा इसके समानुसार है तथा जिसमें आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित सुविधाएं सम्बन्धित है।

(79) अनुसूची से आशय इस अधिनियम में संलग्न सूची से है।

(80) अनुसूची बैंक से आशय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा में परिभाषित अनुसूचित बैंक से है;
(81) प्रतिमूलियों से आशय प्रतिमूलि, अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(h) में परिभाषित प्रतिमूलियों से है। प्रतिमूलि अनुबंध (नियमन) 1956 की धारा 2(h) के अनुसार, "प्रतिमूलियों" में सम्मिलित हैं –

(i) किसी निगमित कम्यूनी अथवा अन्य निगमीक कंपनियों में अंश, पत्रक स्टॉक बोंड, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक अथवा अन्य इसी प्रकार की विशेष योग्य प्रतिमूलियों

(ii) व्युत्पन्न

(iii) इस प्रकार की योजनाओं में किसी सामूहिक निवेश योजना के द्वारा निवेशकों को निगमित की गयी इकाईयों अथवा अन्य उपकरण;

(iv) वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिमूलितकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूलि ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अंतर्गत अनुसूचित (2g) में परिभाषित प्रतिमूलि आय;

(v) किसी साझा—कोष योजना के अंतर्गत निवेशकों को निगमित की गयी इकाईयों अथवा अन्य इस प्रकार के उपकरण। प्रतिमूलियों में होलाफ़िक, को यूनिट सामूहिक बीमा योजना (ULIP) अथवा पत्रक अथवा ऐसे अन्य उपकरण या इकाई वाले जो भी नाम हो, सम्मिलित नहीं होंगे जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के अनुसूचित (9) में दिये गये बीमाकर्ताओं के द्वारा निगमित हो एवं जो व्यक्ति के निवेश दोनों के लिए मिश्रित जोड़ीमध्य माम प्रदान करते हैं।

(vi) एक विशेष उद्देश्य वाली इकाई के रूप में किसी जारीकर्ता के द्वारा एक निवेशक को निगमित किया गया कोई प्रमाण या पत्र अथवा उपकरण (जो भी नाम हो), जो ऐसी इकाई को निर्दिष्ट किये गये किसी ऋण अथवा प्राप्त वित्त, जिसमें बंक ऋण सम्मिलित हो, पर अधिकार स्थापित हों, तथा जो ऐसे ऋण या प्राप्त-वित्त, जिसमें बंक ऋण की सम्मिलित हो, जैसा भी हो, उसमें निवेशक के लाभकारी हित को स्थानांतर करता हो।

(ii) सरकारी प्रतिमूलियों;

(iiia) ऐसे अन्य उपकरण जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिमूलियों के रूप में घोषित किये गये हो; तथा

(iii) प्रतिमूलियों में अधिकार अथवा ब्याज,

उदाहरण : प्रतिमूलि अनुबंध (नियमनक) अधिनियम, 1956 की धारा 2(h) (iii) के अनुसार शेयर वारेंट को प्रतिकल के रूप में माना जा सकता है। जिस प्रकार शेयर वारेंट ग्राहकों को पूर्व – निर्धारित समय अवधि पर या उसके पश्चात् एक पूर्व – निर्धारित मूल्य पर समय अंश मौजूने का अधिकार देता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India
(82) प्रतिमूर्ति एवं विनिमय बोर्ड से आशय भारतीय प्रतिमूर्ति एवं विनिमय बोर्ड से है। जिसका गठन भारतीय प्रतिमूर्ति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अनुसार हुआ था।
(83) गम्बॉर दोखाईहड़ी जौं — पद्मातल कार्यालय से आशय धारा 211 में दिये गये कार्यालय से है; (84) अंश से आशय कम्पनी की अंश पूँजी में हिस्से से है जिसमें स्टॉक समिलित है; (85) लघु कम्पनी का अध्याय है ऐसी कम्पनी, पब्लिक कम्पनी के अलगा —
(i) जिसकी चुकता अंश पूँजी रूपये 50 लाख से अधिक न हो अथवा ऐसी अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जा सके जो रुपये 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा
(ii) जिसकी बिक्री इसके पूर्व लाभ एवं हानि खाते के अनुसार रुपये 2 करोड़ से अधिक न हो अथवा ऐसी अधिक राशि जैसा निर्धारित किया जा सके जो रुपये 20 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए

(86) अंशदाता पूँजी से आशय पूँजी के उस भाग से है जो उसने समय के लिए कम्पनी के बादशाह भाग की जाती है;
(87) अधिकृत कम्पनी अथवा अधिकृत, दूसरी कम्पनी के सम्बन्ध में (जिसे अधिकार कम्पनी कहा जाए) से आशय एक कम्पनी है जिसमें अधिकार कम्पनी —
(i) निर्देशक माण्डल की संरचना को नियंत्रित करती है; अथवा
(ii) कुल अंश पूँजी के आधे से ज्यादा भाग को स्वयं के द्वारा अथवा इसकी एक या अधिक अधिकृत कम्पनियों के साथ प्रयोग अथवा नियंत्रित करती है;
विश्वास — इस खण्ड के उद्देश्य के लिए —

(a) एक कंपनी अधिकार कंपनी की अधिकृत कंपनी मानी जाएगी यदि उपखण्ड (i) अथवा उपखण्ड (ii) में दिया गया नियन्त्रण अधिकार कंपनी की दूसरी अधिकृत कंपनी पर हो,

(b) कंपनी के निर्देशक मण्डल की संचरण को दूसरी कंपनी के द्वारा नियामित माना जाएगा यदि वह दूसरी कंपनी अपनी स्वेच्छा से प्रयोग की गयी कुछ शक्तियों के आधार पर सभी अथवा अधिकार निर्देशकों को नियुक्त कर सकती है अथवा हटा सकती है;

(c) “कंपनी” शब्दावली में कोई सामाजिक नियम सम्मिलित है;

(d) अधिकार कंपनी के संबंध में “समूह” से आशय इसकी अधिकृत अथवा अधिकृत कंपनीयों से है;

कंपनी (परिभाषा विवरण के विनिर्देश) नियम, 2014 के अनुसार, "कुल अंश पूँजी" धारा 2 के खण्ड (87) के उद्देश्य के लिए, से आशय है कुल —

(a) दो कता समता अंश पूँजी; तथा

(b) परिवर्तनीय पूँजीकरण अंश पूँजी;

चिह्नक 27 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना के अनुसार, मंजूरी ने रुपए किया है चिनक द्वारा कम नियमी में एक कंपनी के द्वारा धारण किये गये अंश अथवा प्रयोग की गयी शक्ति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (87) के प्राधिकृत के अनुसार अधिकार — अधिकृत कंपनी का सम्बंध निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा।

विधार्थी कंपनी ध्यान दें कि AS — 21 /IND AS 110 (संयुक्त वित्तीय विवरण) के अनुसार परिभाषित सहायक कंपनी की परिभाषा ऊपर दी गयी परिभाषा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है, से थोड़ी अलग है।

88 स्वेट समता अंशों से आशय ऐसे समता अंशों से है जो कंपनी के द्वारा इसके निर्देशकों अथवा कर्मचारियों को छूट पर या रोक देने के अधिकृत प्रतिफल के लिए उनके द्वारा तकनीकी जानकारियों देने के लिए अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में उपलब्ध अधिकार बनाने या मूल्य संकर्षन के लिए, चाहे जो नाम दिया जाये, निर्धारित किये जाएं;

89 कुल मतदान अधिकार, किसी भी मामले के संबंध में से आशय मतों की कुल संख्या से है जिसे कंपनी की एक बैठक में उस मामले के संबंध में निर्धारित है।
मत छाला जा सकता है यदि उस मामले में मत देने का अधिकार रखने वाले सभी सदस्य या उनके प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित हो तथा अपने मत का प्रयोग करें।

(90) न्यायालय से आशय धारा 408 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय कम्पनी अधिनियम ट्रिब्यूनल से है।

(91) विक्री से आशय एक वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा किये गये, विक्रय, माल की आपूर्ति अथवा वितरण अथवा सेवाएं प्रदान करने के कारण से अथवा दोनों से होने वाली प्राप्त राशि के कुल मूल्य से है; नोट यह परिषाधिकार स्पष्ट नहीं है। इसलिए, इस परिषाधिकार में संशोधन की आवश्यकता है। और, कम्पनी (संशोधन) विल, 2016 में इस परिषाधिकार में बदलाव विचाराधीन है।

(92) अर्जित कम्पनी से आशय है कि ऐसी कम्पनी जिसके सदस्यों के दावेदार की कोई सीमा नहीं है; नताधिकार से आशय कम्पनी के सदस्य का कम्पनी की किसी बैठक में मत देने के अथवा डाक मत के द्वारा मत देने के अधिकार से है; पूर्ण-कालिक निर्देशक (WTD) में कम्पनी में पूर्ण - रमण के लिए नियुक्त निर्देशक समिलित है; कम्पनी (परिषाधिकारों के वितरण का विनिर्देश) नियम, 2014 के अनुसार कार्यकारी निर्देशक से आशय अधिनियम की धारा 2(94) में परिवर्तित पूर्णकालिक निर्देशक से है, समेत्ना से आशय इस अधिनियम के अन्तर्गत समेत्ना अथवा दिवंगत एवं दिवंगतियाँ पहली 2016 के अन्तर्गत परिषाधिकार (Liquidation) से है जो भी लागू हो।

प्रासंगिक संशोधन

1. धारा 2 के खंड (87) के प्रोत्साहित की अधिसूचना S.O. 3086(E) दिनांक 20 सितंबर 2017 को निर्दिष्ट करती है।

2. Amendments through The Companies (Amendment) Act, 2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>संरुपित धारा</th>
<th>संशोधन</th>
<th>रिथिति</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>संशोधन भाग -2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>खंड (6)</td>
<td>(i) खंड 6 में सप्तदिकरण के लिए निर्लिखित सप्तदिकरण को रखा जाएगा</td>
<td>30 अप्रैल 2018 तक अधिसूचित</td>
</tr>
</tbody>
</table>

© The Institute of Chartered Accountants of India
'Explanation.—For the purpose of this clause,—

(a) अभिव्यक्ति, रस खण्ड के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण से तात्पर्य कुल अंश चूंकि का कम से कम 20 प्रतिशत नियंत्रण है या अनुबंध के अन्तर्गत व्यावसाय का निर्णय अधिकार होना आवश्यक।

(b) अभिव्यक्ति, संयुक्त उद्यम से आशय एक संयुक्त व्यवस्था जिसमें संयुक्त नियंत्रण वाले दलों के संयुक्त उद्यम की सपति का अधिकार है।

| खंड (28) | (i) खंड (28) के लिए, निम्नलिखित खंड, प्रतिस्पर्धित किया जाएगा अर्थातः —
|  | '(28) "लागत लेखाकार" का अर्थ लागत और कार्यलेखकार अधिनियम, 1959 की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित लागत लेखाकार है और जो उपधारा के तहत अभ्यास का वैध प्रमाण पत्र रखता है (1) उस अधिनियम की धारा 6 के;
|  | 30 अप्रैल 2018 तक अधिसूचित |
| खंड (30) | (ii) खंड (30) में, निम्नलिखित परितुक डाला जाएगा, अर्थातः —
|  | "बसरं कि —
|  | (ए) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अध्याय III-D में निर्दिष्ट उपकरण; तथा
|  | 30 अप्रैल 2018 तक अधिसूचित |